

तासीख  
नम्बर 25/2022  
की जो  
जासी तासीख

## अन्तिम डिक्री

(आर्डर 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी)

(civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास श्री देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 25/2022 उनवान धर्मीचन्द बनाम कैलाश

1. धर्मीचन्द पुत्र माणकचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अराई जिला अजमेर राज.

-वादी

### बनाम

- कैलाश चन्द पुत्र लाल चन्द जाति महाजन निवासी ग्राम गोठियाना हाल निवासी मेवाडी गेट ब्यावर जिला अजमेर राज.।
- दीप चन्द पुत्र लाल चन्द जाति महाजन निवासी ग्राम गोठियाना हाल निवासी कोकाशाह नगर ब्यावर जिला अजमेर राज.।
- नाहरसिंह पुत्र लाल चन्द जाति महाजन निवासी गोठियाना तहसील अराई जिला अजमेर राज.।
- घेवर चन्द पुत्र माणक चन्द जाति महाजन निवासी ग्राम गोठियाना हाल निवासी ब्यावर जिला अजमेर राज.।
- सरोज पुत्री नाथू लाल जाति महाजन निवासी गोठियाना तहसील अराई जिला अजमेर राज.।
- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अराई जिला अजमेर राज.।

-प्रतिवादीगण।

•अन्तिम डिक्री वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,209 राज.का. अधि. 1955•

मुकदमा नम्बर 25/2022 उनवान धर्मीचन्द बनाम कैलाश  
उपस्थित वकील वादी

निर्णय दिनांक 09.02.2024

### ●आदेश●

वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद के संबंध वकील वादी की बहस सुनने तथा न्यायिक कार्यवाही को करने के उपरान्त एवं बयान गवाहान् के उपरान्त न्यायालय यह निर्णय देती है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,209 राज.का.अधि. के तहत पेश किया गया है जबकि दस्तावेजानुसार नामान्तरण मे ही प्रतिवादी संख्या 05 का नाम दर्ज है। धारा 88 के प्रावधाननुसार इस धारा में केवल खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु घोषणात्मक वाद ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इस धारा के अन्तर्गत अमुक नामान्तरकरण में की गई अशुद्ध प्रविष्टि को विलोपित नहीं किया जाता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है।



09.02.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपस्थित वकील  
अजमेर